**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI**

ORIGINAL APPLICATION NO. 579 OF 2024

WITH

ORIGINAL APPLICATION NO. 579 OF 2024

IN THE MATTER OF:

YASVEER SINGH .... **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF UP & ORS. ......**RESPONDENT**

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Response on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board.	1-3
2	**Annexure-R6/1** true copy of show cause notice dated 18.03.2025	4-8
3	**Annexure-R6/2** true copy of the letter dated 25/04/2025	9-10

NEW DELHI
DATED: 07.05.2025

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 579/2024
With
Original Application No. 580/2024

IN THE MATTER OF:

YASVEER SINGH ....APPLICANT

Versus

STATE OF UP & ORS. ....RESPONDENTS

AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE RESPONDENT NO.6, UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD, IN PURSUANCE TO THE ORDER DATED 31.01.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

I, Bhuvan Prakash Yadav aged about 46 years, S/o Sri C.L.Yadav presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Meerut do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, deponent in the official capacity mentioned above, am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such competent and authorized to swear this affidavit.

2. That this Hon'ble Tribunal vides its order dated 31.01.2025 has passed the following direction:

NOTARIAL NOTARIAL

ATTESTED
AKHILESH KUMAR
NOTARY MEERUT
6/5/25

3. *Learned Counsel for the CPCB has informed that for sand mining in the area, some heavy machinery was also used and he also informed that Respondent No.-8 had done illegal mining in some areas. He submitted that now the Pollution Control Board will impose the cost. We fail to understand what kind of cost the Pollution Control Board will impose and under which provision. He has submitted that for using heavy machinery, the cost will be imposed. The Member Secretary, UPPCB, is directed to appear virtually and explain under which provision the cost will be imposed upon the Project Proponent for doing illegal mining.*

3. That UPPCB vide its letter no. H25826/C-3/Jal784/Meerut/2025 dated 18.03.2025 has issued a show cause notice against M/s Royal Construction Company (Project Proponent) for imposition of Environmental Compensation of Rs. 1755891/- for illegal/excess mining of 1352.25 m³ sand at Village Chhaprauli Khadar, Tehsil Baraut, Bagpat and Rs. 681710/- for illegal/excess mining of 525 m³ sand at Village Kotana Khadar, Tehsil Baraut, Bagpat for violating conditions of Environmental Clearance.

A true copy of show cause notice dated 18.03.2025 is being annexed herewith as **Annexure R6/1**.

4. That it is most respectfully submitted that the detailed methodology regarding imposition of Environmental Compensation is specifically mentioned in the show cause notice dated 18.03.2025.

5. That further the UPPCB has confirmed the show cause notice for imposition of Environmental Compensation of Rs. 1755891/- and Rs. 681710/-, total amounting of Rs. 24,37,601/-, against the project proponent vide its letter dated 25/04/2025.

A true copy of the letter dated 25/04/2025 is being annexed herewith as **Annexure R6/2**.

6. That the present Response on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Meerut on this 06th day of May, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

ATTESTED
AKHILESH KUMAR
NOTARY MEERUT
6/5/25

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्याः H25826 / सी–3 / जल 784 / मेरठ / 2025 दिनाँकः 18/2/2025

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 रायल कंस्ट्रक्शन कंपनी,
द्वारा ग्राम छपरौली खादर, तहसील बड़ौत जनपद बागपत
एवं कोताना खादर, तहसील बड़ौत
जनपद बागपत। 7906265603

विषयः– पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने हेतु कारण बताओ नोटिस के संबंध में।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली, में योजित ओ0ए0 संख्या–579/2024 एवं 580/2024 यशवीर सिंह बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–31/01/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके के सुसंगत अंश निम्नवत हैं–

" 3. Learned Counsel for the CPCB has informed that for sand mining in the area, some heavy machinery was also used and he also informed that Respondent No.-8 had done illegal mining in some areas. He submitted that now the Pollution Control Board will impose the cost. We fail to understand what kind of cost the Pollution Control Board will impose and under which provision. He has submitted that for using heavy machinery, the cost will be imposed. The Member Secretary, UP PCB, is directed to appear virtually and explain under which provision the cost will be imposed upon the Project Proponent for doing illegal mining"

क्षेत्रीय अधिकारी मेरठ की आख्या दिनांक 25.02.2025 के अनुसार मा0 एनजीटी द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक–07/01/2025 को स्थल निरीक्षण किया गया एवं समिति की आख्या मा0एनजीटी में दाखिल की गयी है। अग्रेतर खनन विभाग, बागपत द्वारा अपने ईमेल दिनांक–11/02/2025 एवं 14/02/2025 के माध्यम से छपरौली खादर एवं कोताना खादर में खनन विभाग द्वारा किये गये निरीक्षण में पाये गये उल्लंघन एवं तत्आलोक में अधिरोपित शास्ति का विवरण इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है, जो कि निम्नवत है–

ग्राम छपरौली खादर–			
कमांक	उल्लंघनकारी तिथि	illegal/excess खनन	खनन विभाग द्वारा अधिरोपित शास्ति
1	01/04/2024	210 m^3	281900/–
2	06/04/2024	जल स्तर से नीचे खनन चिन्ह पाये जाने पर	500000/–
3	03/06/2024	1142.25 m^3	645477.5/–

ग्राम कोताना खादर–			
1	11/02/2024	173 m3	67470/– एवं 25000/–
2	22/04/2024	जल स्तर से नीचे खनन चिन्ह पाये जाने पर	550000/–
3	06/05/2024	352 m3	387250/–

खनन विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मै0 रायल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा ग्राम छपरौली खादर, तहसील बड़ौत जनपद बागपत में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र के बाहर (1142.25 + 210 = 1352.25) घनमीटर अवैध/excess खनन किया गया है **(संलग्नक–1)**। इसी प्रकार उक्त परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम कोताना खादर तहसील बड़ौत जनपद बागपत में स्वीकृत पट्टा क्षेत्र में एवं इसके बाहर कुल (173 + 352 = 525) घनमीटर अवैध/excess खनन किया गया है एवं इस हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति तथा राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त नहीं की गयी है **(संलग्नक–2)**।

खनन पटटा इकाई मै0 रायल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा ग्राम छपरौली खादर, तहसील बड़ौत एवं ग्राम कोताना खादर तहसील बड़ौत जनपद बागपत में किये गये खनन के विरूद्व मा0एनजीटी में माईनिंग से संबंधित एक अन्य वाद ओ0ए0 संख्या–360/2015 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार एसोसियेशन बनाम वीरेन्द्र सिंह(गुजरात) में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत मेथेडोलाजी दिनांक–29/01/2020 एवं तत्क्रम में पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अंतर्गत जारी निर्देश दिनांक–11/06/2021 के आधार पर बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये एवं बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये गये खनन के सम्बन्ध में इकाई के विरूद्व छच्ट के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना निम्नवत् है :–

1. **<u>मै0 रायल कंस्ट्रक्शन कंपनी, ग्राम छपरौली खादर, तहसील बड़ौत जनपद बागपत की गणना–</u>**

खनन विभाग के शासनादेश के अनुसार खनन की दर (65 रूपये प्रतिघन मीटर x 5=325 रू0) के आधार पर खनिमुख मूल्य (Pit mouth value) = 1352.25x65x5=439481.25/= एवं रायल्टी रू0 1352.25x65=87896.25/= सहित कुल मार्केट वैल्यू धनराशि 527377.5/-आंकलित होता है।

Approach 2: Computing a Simplified NPV(Net Present Value) for ecological damages.

In this approach, the criteria adopted is:

Total Benefits (B) = Market Value of illegal extraction: D

Total Ecological Costs = Market Value Adjusted for risk factor: D*RF

Severity	**Mild**	**Moderate**	**Significant**	**Severe**
Risk Level	**1**	**2**	**3**	**4**
Risk Factor(RF)	**0.25**	**0.50**	**0.75**	**1.0**
Discount(r)	**8%**	**7%**	**6%**	**5%**

Market value of illegally mined materials D=Z x market value of the material per MT or m^3

= 1352.25 x 65 x 6

D = 527377.5/-

Present value of foregone Ecological values @ 5% discount rate and over 5 years

= D x RF

=527377.5x 1(RF = 1.0; Severe as being illegal)

=527377.5/-

$$PV = \sum_{t=1}^{5} \frac{(D*RF)}{(1+r)\,t}$$

$$= \sum \frac{(527377.5)}{(1+0.05)^1} + \frac{(527377.5)}{(1+0.05)^2} + \frac{(527377.5)}{(1+0.05)^3} + \frac{(527377.5)}{(1+0.05)^4} + \frac{(527377.5)}{(1+0.05)^5}$$

= 502264.28+478346.93+455568.51+433874.77+413214.07/=

= 2283268.56/=

Net Present value(NPV)=PV-D

=2283268.56- 527377.5/-

= 1755890.75/=

Compensation Charge in above case:

Approach 2 (explicit accounting of NPV)
@ 5% discount rate and over 5 years
Rs. 1755890.75/=
Rs 1755891/= (say)

2. मै0 रायल कंस्ट्रक्शन कंपनी, ग्राम कोताना खादर, तहसील बड़ौत जनपद बागपत की गणना–

खनन विभाग के शासनादेश के अनुसार खनन की दर (65रूपये प्रतिघन मीटर x 5=325 रू0) के आधार पर खनिमुख मूल्य (Pit mouth value) = 525x65x5=1,70,625/= एवं रायल्टी रू0 525x65=34,125/= सहित कुल मार्केट वैल्यू धनराशि 2,04,750/–आंकलित होता है।

Approach 2: Computing a Simplified NPV(Net Present Value) for ecological damages.

In this approach, the criteria adopted is:

Total Benefits (B) = Market Value of illegal extraction: D

Total Ecological Costs = Market Value Adjusted for risk factor: D∗RF

Severity	**Mild**	**Moderate**	**Significant**	**Severe**
Risk Level	1	2	3	4
Risk Factor(RF)	**0.25**	**0.50**	**0.75**	**1.0**
Discount(r)	**8%**	**7%**	**6%**	**5%**

Market value of illegally mined materials D=Z x market value of the material per MT or m3

= 525 x 65 x 6

D = 2,04,750/-

Present value of foregone Ecological values @ 5% discount rate and over 5 years

= D x RF

=204750 x 1(RF = 1.0; Severe as being illegal)

=204750/-

$$PV = \sum_{t=1}^{5} \frac{(D*RF)}{(1+r)t}$$

$$= \sum \frac{(204750)}{(1+0.05)^1} + \frac{(204750)}{(1+0.05)^2} + \frac{(204750)}{(1+0.05)^3} + \frac{(204750)}{(1+0.05)^4} + \frac{(204750)}{(1+0.05)^5}$$

= 195000+185714.28+176870.74+168448.33+160426.98/=

= 886460.33/=

Net Present value(NPV)=PV-D

= 886460.33- 204750

= 681710.33/=

Compensation Charge in above case:

Approach 2 (explicit accounting of NPV)
@ 5% discount rate and over 5 years
Rs. 681710.33/=
Rs 681710/=(say)

उपरोक्त तथ्यो के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी मेरठ द्वारा अपने पत्र दिनांक 25.02.2025 के द्वारा मै0 रायल कंस्ट्रक्शन कंपनी, द्वारा श्री दयाचन्द बरगौती पुत्र हरस्वरूप, मकान नंबर–5, नई ब्रेक प्वाइंट रेस्टोरेंट भूर चौराहा के पास यमुनापुरम, बुलंदशहर–203001 के विरूद्ध एप्रोच–2 के आधार पर ग्राम छपरौली खादर तहसील बड़ौत जनपद बागपत पर रू0 1755891/= (रू0 सत्रह लाख पचपन हजार आठ सौ इक्यानवे रूपये मात्र) एवं ग्राम कोताना खादर तहसील बड़ौत जनपद बागपत पर रू0 6,81,710/=(रू0 छह लाख इक्यासी हजार सात सौ दस रूपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

क्षेत्रीय अधिकारी मेरठ के पत्रांक–1165/जी/ ओ0ए0–579/2024 यशवीर सिंह/बीपीटी/2025 दिनांक–17/02/2025 द्वारा द्वारा जिला खान अधिकारी, बागपत को जल स्तर से नीचे खनन चिन्ह पाये जाने के संबंध में स्पष्ट सूचना प्रेषित करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया (संलग्नक–3)। इस संबंध में खनन विभाग के पत्रांक–47/खनन अनु0–बागपत/2025 दिनांक–20/02/2025 के माध्यम से अवगत कराया गया कि मै0 रायल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा ग्राम कोताना खादर में जल स्तर से नीचे खनन पर दिनांक–22/04/2024 को रूपये 5,50,000/– की शास्ति एवं ग्राम छपरौली खादर में जल स्तर से नीचे खनन के चिन्ह पाये जाने पर दिनांक–06/04/2024 को रूपये 500000/– की शास्ति खनन विभाग द्वारा अधिरोपित की गयी है एवं अवगत कराया गया है कि उक्त खनन की गहराई पर्यावरण मंजूरी में निहित गहराई के अधीन थी एवं पट्टेदार के द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में ही खनन किया जा रहा था(संलग्नक–4)।

क्षेत्रीय अधिकारी मेरठ द्वारा प्रेषित आख्या एवं संस्तुति दिनांक 25.02.2025 के अनुपालन में सक्षम अधिकारी से प्राप्त अनुमति के उपरान्त उद्योग मै0 रायल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा ग्राम छपरौली खादर में किये गये अवैध खनन के विरूद्ध रूपये 17,55,891/= (रू0 सत्रह लाख पचपन हजार आठ सौ इक्यानवे रूपये मात्र) एवं मै0 रायल कंस्ट्रक्शन कंपनी द्वारा ग्राम कोताना खादर में किये गये अवैध खनन की विरूद्ध रूपये 6,81,710/=(रू0 छह लाख इक्यासी हजार सात सौ दस रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने से पूर्व निम्न कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

"यह कि क्यो न मै0 रायल कंस्ट्रक्शन कंपनी, द्वारा श्री दयाचन्द बरगौती पुत्र हरस्वरूप, मकान नंबर–5, नई ब्रेक प्वाइंट रेस्टोरेंट भूर चौराहा के पास यमुनापुरम, बुलंदशहर–203001 के विरूद्ध अवैध खनन किये जाने एवं पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो के उल्लंघन किये जाने के कारण उपर्युक्त गणना अनुसार ग्राम छपरौली खादर तहसील बड़ौत जनपद बागपत पर रू0 1755891/= (रू0 सत्रह लाख पचपन हजार आठ सौ इक्यानवे रूपये मात्र) एवं ग्राम कोताना खादर तहसील बड़ौत जनपद बागपत पर रू0 6,81,710/=(रू0 छह लाख इक्यासी हजार सात सौ दस रूपये मात्र) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाए।

उपरोक्त पर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर/स्पष्टीकरण 07 दिन के अन्दर राज्य बोर्ड को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करे अन्यथा मै0 रायल कंस्ट्रक्शन कंपनी, द्वारा श्री दयाचन्द बरगौती पुत्र हरस्वरूप, मकान नंबर–5, नई ब्रेक प्वाइंट रेस्टोरेंट भूर चौराहा के पास यमुनापुरम, बुलंदशहर–203001 के विरूद्ध ग्राम छपरौली खादर तहसील बड़ौत जनपद बागपत पर रू0 1755891/= (रू0 सत्रह लाख पचपन हजार आठ सौ इक्यानवे रूपये मात्र) एवं ग्राम कोताना खादर तहसील बड़ौत जनपद बागपत पर रू0 6,81,710/=(रू0 छह लाख इक्यासी हजार सात सौ दस रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी वृत्त–3

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य विधि अधिकारी, (प्र), उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त कारण बताओ नोटिस को अपने स्तर से भी उद्योग को प्राप्त कराते हुए 15 दिवस में अपनी आख्या स्पष्ट संस्तुति सहित प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता,
प्रभारी वृत्त–3

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

167

Annexure R6/2

संदर्भ संख्या H27414/सी–3/जल/784/मेरठ/25 दिनांक 25-4-25

पंजीकृत

सेवा में,

मै0 रायल कंस्ट्रक्शन कंपनी,
द्वारा ग्राम छपरौली खादर, तहसील बड़ौत जनपद बागपत
एवं कोताना खादर, तहसील बड़ौत
जनपद बागपत। 7906265603

विषयः पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के पत्र संख्या एच 25826/सी/3/जल–784/मेरठ/2025 दिनांक 18.03.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परियोजना के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, दिल्ली, में योजित ओ0ए0 संख्या–579/2024 एवं 580/2024 यशवीर सिंह बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक–31/01/2025 के द्वारा गठित समिति द्वारा दिनांक–07/01/2025 को किये गये स्थल निरीक्षण एवं खनन विभाग, बागपत द्वारा अपने ईमेल दिनांक–1·/02/2025 एवं 14/02/2025 के माध्यम से छपरौली खादर एवं कोताना खादर में खनन विभाग द्वारा किये गये निरीक्षण में पाये गये उल्लंघन एवं मा0एनजीटी में माईनिंग से संबंधित एक अन्य वाद ओ0ए0 संख्या–360/2015 नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बार एसोसियेशन बनाम वीरेन्द्र सिंह(गुजरात) में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत मेथेडोलाजी दिनांक–29/01/2020 एवं तत्क्रम में पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अंतर्गत जारी निर्देश दिनांक–11/06/2021 के आधार पर बिना राज्य बोर्ड से सहमति प्राप्त किये एवं बिना पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये गये खनन के सम्बन्ध में इकाई मै0 रायल कंस्ट्रक्शन कंपनी, द्वारा श्री दयाचन्द बरगौती पुत्र हरस्वरूप, मकान नंबर–5, नई ब्रेक प्वाइंट रेस्टोरेंट भूर चौराहा के पास यमुनापुरम, बुलंदशहर–203001 के विरूद्ध ग्राम छपरौली खादर, तहसील बड़ौत जनपद बागपत में किये गये अवैध खनन के दृष्टिगत रू0 1755891/= (रू0 सत्रह लाख पचपन हजार आठ सौ इक्यानवे रूपये मात्र) एवं ग्राम छपरौली खादर, तहसील बड़ौत जनपद बागपत में किये गये अवैध खनन के दृष्टिगत रू0 6,81,710/= (रू0 छह लाख इक्यासी हजार सात सौ दस रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित करते हुये कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

उक्त के अनुक्रम में क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मेरठ के पत्र संख्या 73/सी/आर0सी0सी0/बागपत/2025 दिनांक 2·.04.2025 द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा अपने पत्र दिनांक 04.04.2025 जोकि ई–मेल के माध्यम से प्राप्त है, के माध्यम से कारण बताओ नोटिस का प्रतिउत्तर/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है तथा आख्यानुसार परियोजनाओं की स्थिति पूर्ववत है। क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

क्रमशः.........2

टी.सी.–12 वी, विभूति खण्ड,
गोमती नगर, लखनऊ–226 010
ई–मेल–info@uppcb.in : 0522.2720828, 2720831
वेबसाइट–www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.up.gov.in

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत सक्षम स्तर से अनुमोदनोंपरान्त बोर्ड के पत्र संख्या एच 25826/सी/3/जल–784/मेरठ/2025 दिनांक 18.03.2025 द्वारा मै0 रायल कंस्ट्रक्शन कंपनी, द्वारा श्री दयाचन्द बरगौती पुत्र हरस्वरूप, मकान नंबर–5, नई ब्रेक प्वाइंट रेस्टोरेंट भूर चौराहा के पास यमुनापुरम, बुलंदशहर–203001 के विरूद्ध ग्राम छपरौली खादर, तहसील बड़ौत जनपद बागपत में किये गये अवैध खनन के दृष्टिगत रू0 1755891/= (रू0 सत्रह लाख पचपन हजार आठ सौ इक्यानवे रूपये मात्र) एवं ग्राम छपरौली खादर, तहसील बड़ौत जनपद बागपत में किये गये अवैध खनन के दृष्टिगत रू0 6,81,710/= (रू0 छह लाख इक्यासी हजार सात सौ दस रूपये मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आंकलित करते हुये जारी कारण बताओ नोटिस की पुष्टि की जाती है तथा निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू0 1755891/= (रू0 सत्रह लाख पचपन हजार आठ सौ इक्यानवे रूपये मात्र) एवं ग्राम छपरौली खादर, तहसील बड़ौत जनपद बागपत में किये गये अवैध खनन के दृष्टिगत रू0 6,81,710/= (रू0 छह लाख इक्यासी हजार सात सौ दस रूपये मात्र) कुल धनराशि रूपये 24,37,601/– (चौबीस लाख सैंतीस हजार छः सौ एक) को विलम्बतम् 15 दिवस में निम्नलिखित **Payment Gateway** एवं विवरण के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित किया जाये:–

Payment Gateway- https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB
Nature of Pollution- **Air Pollution**
EC imposed in compliance- **UPPCB Order**

उक्त जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को भी प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

सक्षम अधिकारी के द्वारा पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त–3

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. जिलाधिकारी मेरठ।
2. मुख्य विधि–अधिकारी, प्रभारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
3. जिला खनन अधिकारी, जनपद– मेरठ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इकाई पर अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

पर्यावरण अभियन्ता, प्रभारी वृत्त–3